संख्या-I/1355446/2026/18-4099/18/2026

प्रेषक,

शशि भूषण लाल सुशील,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक05-06-2026

विषय- "एक जनपद एक व्यंजन" कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० के पत्र संख्या-29/ओ०डी०ओ०सी०/मु०/ड्रा०शा०/2026-27, दिनांक 04-06-2026 द्वारा एक जनपद एक व्यंजन योजना (ODOC) के शासनादेश संख्या:1/1317886/2026/18-4099/11/2026, दिनांक 05 मई, 2026 के अनुपालन में योजना के अंतर्गत चिन्हित व्यंजनों के समग्र विकास हेतु क्रमशः वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना एवं त्रि-स्तरीय समिति के गठन आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया है। अतएव सम्यक विचारोपरांत एक जनपद एक व्यंजन योजना (ODOC) के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना एवं त्रि-स्तरीय समिति के गठन आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किया जाता है:-

1- एक जनपद एक व्यंजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

एक जनपद एक व्यंजन योजना (ODOC) के अंतर्गत चिन्हित व्यंजनों के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ओ0डी0ओ0सी0 व्यंजनों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित की जानी है।

योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जनपद के विशिष्ट व्यंजनों का मूल्य संवर्धन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, गुणवत्ता सुधार एवं राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सतत अभिवृद्धि हो सके। योजनान्तर्गत वित्त पोषण हेतु मुख्य रूप से

निम्नलिखित प्राविधान किया जाता है:-

1-व्यंजन की उत्पादकता बढाने हेतु आटोमेटिक मशीनों की स्थापना

2-पैकेजिंग एवं लेबलिंग हेतु आधुनिक पैकिंग मशीनें, रैपर/सीलर आदि की स्थापना

3-कोल्ड चेन/कोल्ड स्टोरेज हेतु डीप फ्रीज़र, रीफरवैन, मिनी कोल्ड-रूम आदि की स्थापना

4- फूड टेस्टिंग, गुणवत्ता सुनिश्चित करने से सम्बंधित उपकरण की स्थापना

5- व्यंजनों की शेल्फ लाइफ बढाने हेतु मशीनों की स्थापना

6- क्लाउड किचन इत्यादि की स्थापना

7- अन्य ऐसे क्रिया-कलाप जो चिह्नित ओ.डी.ओ.सी. व्यंजनों को प्रतिस्पर्धी बनाएं

8- योजनान्तर्गत जनपद के चिह्नित ओ.डी.ओ.सी. व्यंजन से सम्बंधित नई, विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की इकाईयां पात्र होंगी |

A- योजना का वित्त पोषणः-

1. योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा प्राप्त दावों के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ०डी०ओ०सी० योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
2. योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
3. रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
4. रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
5. रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 50.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
6. उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित की जाएगी।
7. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

8. कुल परियोजना लागत में पूँजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूँजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराए पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

B- पात्रता की शर्तें:

1. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ०डी०ओ०सी० उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
4. आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
6. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
7. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

C- आवेदन की प्रक्रियाः

लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, एवं परियोजना प्रपत्र समस्त आवश्यक/संगत अभिलेखों सहित विभागीय पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन किया जा सकेगा।

D- चयन की प्रक्रियाः

विभाग की वित्त पोषण से सम्बन्धी अन्य योजनाओं जैसे –ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण सहायता योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भांति स्कोर कार्ड के आधार पर आवेदनों का चयन कर ऑन-लाइन वित्तीय संस्थाओं को अग्रसारण किया जाएगा |

E- वित्त पोषण की प्रक्रियाः

1- जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्कोर कार्ड के आधार पर लाभार्थी के चयन के उपरान्त 07 दिन के अन्दर लाभार्थी का आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक शाखा को विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा।

2- लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में प्राप्त होने के 01 माह के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

3- बैंक शाखा से ऋण स्वीकृति के उपरान्त नये लाभार्थियों को न्यूनतम एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे-राजकीय पॉलिटेक्निक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/RSETI/उद्यमिता विकास संस्थान इत्यादि के माध्यम से कराया जाएगा। पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा।

4- स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोपरान्त सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जाएगी।

5- प्रशिक्षण के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा ऋण की प्रथम किश्त लाभार्थी को वितरित कर दी जाएगी।

6- ऋण की प्रथम किश्त के वितरण के पश्चात 07 दिन के अन्दर वित्त पोषण करने वाली शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी के दावे ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से किया जाएगा। उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा दावा प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर मार्जिन मनी की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी०बी०टी०) के मध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में TDR (Term Deposit Receipt) के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।

8- लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफॉल्ट न होने की दशा में 02 वर्ष के पश्चात मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित कर दिया जाएगा। समायोजन के पूर्व उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एवं सम्बंधित बैंक के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी की परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के पश्चात् ही उपलब्ध मार्जिन मनी की धनराशि को अनुदान के रूप में समायोजित किया जाएगा।

9- जान-बूझ कर किये गए ऋण दुरुपयोग की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस कर दी जाएगी। यदि परियोजना दैवीय आपदा अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण बंद हुई है तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा मार्जिन मनी को लाभार्थी के ऋण के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

10- योजना के क्रियान्वन हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अंतर्गत ओ०डी०ओ०सी० प्रकोष्ठ द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि प्राप्त की जाएगी, जिसे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा।

11- योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु BLBC (Block Level Bankers Committee), DCC (District Coordination Committee), DLRC (District Level Review Committee) तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। राज्य स्तर पर SLBC (State Level Bankers Committee) द्वारा योजना की समीक्षा की जाएगी।

2-एक जनपद एक व्यंजन विपणन प्रोत्साहन योजना

(A) इस योजना का उद्देश्य जनपद विशेष के परम्परागत, विशिष्ट एवं स्थानीय व्यंजन/खाद्य उत्पादों से जुड़े उत्पादकों, हलवाई/कारीगरों, उद्यमियों आदि तथा निर्यातक इकाइयों को उनके उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग, ब्रांडिंग एवं निर्यातोन्मुखी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे इन उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर उनके उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके।

(B) स्थानीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों जैसे -फूड मेला, फूड हाट, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने पर होने वाले व्ययों पर अनुदान की निम्नानुसार प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी :-

क्र.सं.	प्रयोजन	अनुमन्य आर्थिक सहायता
1	प्रदेश में आयोजित स्थानीय/राज्यस्तरीय मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	(क) स्टाल शुल्क का 75%, अधिकतम ₹60,000/- (ख) उत्पादन स्थल से मेला/प्रदर्शनी स्थल तक विक्रय हेतु माल की ढुलाई व्यय का 75%, अधिकतम ₹ 25,000/- (ग) प्रतिभाग हेतु दो व्यक्तियों के आने-जाने का वास्तविक किराया (रेल 3-ए.सी. अथवा ए.सी.

		बस)
2	प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	(क) स्टाल शुल्क का 75%, अधिकतम ₹1,00,000/- (ख) उत्पादन स्थल से मेला/प्रदर्शनी स्थल तक विक्रय हेतु माल की ढुलाई व्यय का 75%, अधिकतम ₹25,000/- (ग) प्रतिभाग हेतु दो व्यक्तियों के आने-जाने का वास्तविक किराया (रेल 3-ए.सी. अथवा ए.सी. बस)
3	प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	(क) स्टाल शुल्क का 75%, अधिकतम ₹1,50,000/- (ख) माल की ढुलाई व्यय का 75%, — B2B फेयर हेतु अधिकतम ₹ 35,000/- तथा B2C फेयर हेतु अधिकतम ₹ 75,000/- (ग) दो व्यक्तियों के आने-जाने का वास्तविक किराया (रेल 3-ए.सी. अथवा ए.सी. बस)| वायुयान की इकॉनोमी क्लास से यात्रा करने पर किये गए व्यय का 75%, अधिकतम 15,000/-
4	विदेश में आयोजित व्यापार मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	(क) स्टाल शुल्क का 75%, अधिकतम ₹ 3.25 लाख (ख) अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी हेतु माल ढुलाई व्यय का 75% — B2B फेयर हेतु अधिकतम ₹70,000/- तथा B2C फेयर हेतु अधिकतम ₹1,40,000/- (ग) प्रतिभाग हेतु दो व्यक्ति की घरेलू यात्रा (रेल 3-ए.सी. / ए.सी. बस) एवं विदेश यात्रा (इकोनॉमी क्लास वायुयान) पर हुए कुल व्यय

		(घरेलू यात्रा + विदेश यात्रा) का 75%, अधिकतम ₹ 1,25,000/-

(C) ओ०डी०ओ०सी० व्यंजनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद अथवा प्रदेश/भारत सरकार की अन्य ऐसी परिषदों एवं अथॉरिटीज द्वारा आयोजित/प्रतिभाग किये जाने वाले विदेशी मेला-प्रदर्शनियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनियों के आयोजन/प्रतिभाग पर होने वाले कुल व्यय की 75% धनराशि, अधिकतम रू० 75 लाख, आर्थिक सहायता के रूप में योजनान्तर्गत अनुमन्य होगी। शेष धनराशि परिषद्/अथॉरिटी द्वारा वहन की जायेगी। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेला/प्रदर्शनी में कम-से-कम 20 इकाईयों का समूह प्रतिभाग अनिवार्य है।

प्रदेश/भारत सरकार द्वारा किसी अधिनियम/शासनादेश द्वारा स्थापित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद एवं अथॉरिटीज़ द्वारा ओ०डी०ओ०सी० व्यंजनों के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार हेतु स्वदेश में आयोजित किये जाने वाले सेमीनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, बायर-सेलर मीट तथा मार्केट स्टडी हेतु किये गए कुल वास्तविक व्यय का 75%, अधिकतम रू० 75 लाख, की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी योजनान्तर्गत की जायेगी।

(D) ओ.डी.ओ.सी. व्यंजनों को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से निम्न गुणवत्ता मानकों को अपनाने हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा :-

क्र.सं.	अनुमन्य सहायता मद	विवरण	अनुमन्य आर्थिक सहायता
1.	उत्पाद गुणवत्ता सुधार एवं उत्पादन प्रक्रिया का उन्नयन	शेल्फ-लाइफ वृद्धि, स्वच्छता मानक, SOP आधारित उत्पादन, Ready-to-Eat / Ready-to-Serve उत्पाद, मौसम-संवेदी संरक्षण तकनीक इत्यादि	वास्तविक व्यय का 75%, अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
2.	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद विकास	निर्यात-उन्मुख फॉर्मुलेशन, मानकीकरण, उत्पाद अनुकूलन, R&D सहयोग इत्यादि	वास्तविक व्यय का 75%, अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
3.	ई-कॉमर्स हेतु वेबसाइट विकास	B2B/B2C इत्यादि	वास्तविक व्यय का 75%, अधिकतम

			वार्षिक सीमा के अंतर्गत
4.	डिजिटल कैटलॉगिंग / प्रोडक्ट पोर्टफोलियो निर्माण	डिजिटल/भौतिक कैटलॉग, व्यापार मेलों हेतु प्रोफाइल	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
5.	उत्पाद लाइसेंस	FSSAI एवं अन्य वैधानिक लाइसेंस/अनुमतियाँ	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
6.	उत्पाद/प्रक्रिया प्रमाणन	ISO, HACCP, NABL/FSSAI इत्यादि	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
7.	GI टैग प्रमाणन एवं प्रक्रिया	GI पंजीकरण एवं संबंधित प्रक्रिया	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
8.	निर्यात संवर्धन हेतु विदेशी क्रेताओं को उत्पाद नमूने भेजना	निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गतके लिए विदेशी क्रेताओं को उत्पाद सैंपल भेजने संबंधी	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
9.	पैकेजिंग विकास एवं सुधार	इको-फ्रेंडली एवं निर्यात-अनुकूल पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियाँ	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत
10.	ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग सहायता	ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया पर व्यय	वास्तविक व्यय का 7 5 % , अधिकतम वार्षिक सीमा के अंतर्गत

उपरोक्त तालिका में अंकित सभी लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि इन सभी लाभों की देयता एक वर्ष में रु० 10 लाख से अनधिक होगी | उपरोक्त तालिका के बिंदु – 8 को छोड़कर अन्य सभी लाभ एक इकाई/व्यक्ति को अधिकतम 03 बार तक अनुमन्य होंगे | बिंदु–8 में अंकित 'निर्यात संवर्धन हेतु विदेशी क्रेताओं को उत्पाद नमूने

भेजना' सम्बन्धी प्रयोजन हेतु अधिकतम 05 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी| इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आर्थिक सहायता उन व्यक्तियों/ इकाईयों को ही अनुमन्य होगी जो पूर्व से किसी भी इलेक्ट्रानिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय नहीं कर रहे हों तथा यह सुविधा किसी एक वेबसाइट या पोर्टल तक ही सीमित रहेगी।

(E)- उपरोक्त प्रस्तर–B में उल्लिखित आर्थिक सहायता हेतु मेला/प्रदर्शनी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ०डी०ओ०सी० प्रकोष्ठ) द्वारा अधिसूचित की जायेंगी |

(F) मेला – प्रदर्शनियों में प्रतिभाग के सापेक्ष आर्थिक सहायता किसी इकाई/व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 बार ही अनुमन्य होगी | किसी भी एक मेला-प्रदर्शनी हेतु पात्र व्यक्ति या इकाई को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी जब व्यक्ति/इकाई द्वारा किसी अन्य योजना से समान प्रकृति के पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

(G) विपणन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

(H) योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु कार्य सम्पादन के माह को छोड़ कर अधिकतम 120 दिवसों के अन्दर आवेदन पत्र ऑनलाइन दाखिल किये जायेंगे तथा ऑनलाइन दाखिल किये जाने की तिथि के 15 दिवसों के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कापी सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय में जमा की जानी होगी।

(I) प्रदेश अथवा देश में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने पर आर्थिक सहायता हेतु सभी मदों का भुगतान ऑनलाइन/चेक/ड्राफ्ट अथवा बैंक/वित्तीय संस्था के माध्यम से होना अनिवार्य है।

(J) योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों को स्वीकृत करने का अधिकार ओ.डी.ओ.सी. योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति में निहित होगा एवं समिति द्वारा 15 दिवस के अंतर्गत निर्णय लिया जायेगा।

निर्यात सम्बर्धन परिषद एवं अथॉरिटीज के माध्यम से मेलों में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों को स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में निहित होगा एवं समिति द्वारा 02 माह के अंतर्गत निर्णय लिया जायेगा।

(K) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ०डी०ओ०सी० प्रकोष्ठ) द्वारा जनपद स्तर से स्वीकृत दावों को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का वितरण (Direct Benefit Transfer-DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 01 माह

के अंतर्गत किया जायेगा।

(L) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य / विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो लाभार्थी से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

3- प्रशिक्षण

परम्परागत व्यंजनों की पहचान को सुरक्षित व संरक्षित करने, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, व्यंजनों की शेल्फ लाइफ व स्केलेबिलिटी बढ़ाते हुए गुणवत्ता संवर्धन के साथ-साथ व्यंजनों के वैरियंटस विकसित करने एवं उत्पादकों में Good Manufacturing Practices (GMP) व Good Hygiene Practices (GHP) की अवधारणा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रख्यात संस्थाओं यथा- FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India), CFTRI (Central Food Technological Research Institute), NIFTEM (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management) एवं FICSI (Food Industry Capacity and Skill Initiative) आदि के माध्यम से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण योजना की तर्ज पर ODOC सेक्टर के उद्यमियों को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ओडीओसी उत्पादों की सुरक्षित ईकोफ्रेंडली, स्मार्ट पैकेजिंग, स्मार्ट/एक्सपोर्ट रेडी/थीमबेस्ड पैकेजिंग, क्यू.आर.कोड,न्यूट्रीशन, बार कोड आधारित पैकेजिंग प्रणाली की ग्राह्यता को प्रोत्साहित किये जाने हेतु पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों यथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान आदि के माध्यम से उद्यमियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाएगी ।

4- ब्रांडिंग

पर्यटन विभाग के सहयोग से "एक जनपद एक व्यंजन" योजना की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ब्रांडिंग हेतु मीडिया के विभिन्न आयामों यथा- सोशल मीडिया (Facebook, Instagram, X इत्यादि), डिजीटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया (होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, स्टैंण्डीज इत्यादि) विशेष तौर पर फ़ूडव्लॉगर्स व लघु फिल्म्स के माध्यम से ग्राहकों का व्यंजनों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ाते हुए प्रमुख आयोजनों में "स्वाद यू०पी० का" की थीम पर प्रदेश के व्यंजनों की स्टॉल्स लगाई जाएगी। फ़ूड सेक्टर में कार्यरत प्रख्यात संस्थाओं एवं कंपनियों के सहयोग से केस टू केस आधार पर फंडिग करते हुए प्रीमियम व्यंजनों के विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा। व्यंजनों की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थिति के माध्यम से प्रमुख व्यंजनों की लोकप्रियता बढ़ाने पर

बल दिया जाएगा।

5-एक जनपद एक व्यंजन योजना के अंतर्गत समितियों "का गठन

एक जनपद एक व्यंजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाना है:-

A(i) <u>जिला स्तरीय समिति</u>

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	अग्रणी, जिला बैंक प्रबंधक	सदस्य
5	उप श्रम आयुक्त	सदस्य
6	जिला समन्वयक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन	सदस्य
7	सम्बन्धित व्यंजन से जुड़े निर्यातक/उद्यमी/कारीगर/औद्योगिक संगठन के सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
8	खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
9	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
10	खादी ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
11	जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य
12	सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा	सदस्य
13	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान	सदस्य
14	जनपद की सभी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी से अन्यून अधिकारी	सदस्य
15.	जिलाधिकारी द्वारा नामित सेक्टर विशेषज्ञ	सदस्य
16.	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र	सदस्य/सचिव

उपर्युक्त समिति जनपद स्तर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी | जनपद हेतु चिन्हित व्यंजन की ब्राडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता सुधार, प्रचार-प्रसार आदि के संबंध में प्रश्नगत समिति मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। नए व्यंजनों के संयोजन का प्रस्ताव एवं चिहिन्त व्यंजन के विकास के विकास के लिए अन्य आवश्यक सुझाव राज्यस्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने का कार्य भी समिति के मुख्य दायित्वों में सम्मिलित होगा। समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी ।

A(ii) **राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी**

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0सी0 प्रकोष्ठ) द्वारा जिला स्तरीय समिति से प्राप्त संस्तुतियों का परीक्षण करते हुए समेकित प्रस्ताव निम्नानुसार गठित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे :-

1	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	खाद्य आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग	सदस्य
3	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग	सदस्य
4	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान	सदस्य
6	निदेशक, यू.पी. इस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन, लखनऊ	सदस्य
7	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ	सदस्य
8	मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास निगम, लखनऊ	सदस्य
9	निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य
10	निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
12	निदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
13	संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
14	निदेशक, डूडा	सदस्य
15	निदेशक सूडा	सदस्य
16	सम्बंधित नगर आयुक्त	विशेष आमंत्री
17	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा नामित सेक्टर विशेषज्ञ	सदस्य
18	अपर आयुक्त उद्योग/ योजनाधिकारी एक जनपद एक व्यंजन योजना, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर	सदस्य/सचिव

उक्त समिति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्तावों/कार्य योजनाओं का परीक्षण कर संस्तुति सहित प्रस्ताव ''उच्च स्तरीय समिति'' के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी।

A(iii) **उच्च स्तरीय समिति**

प्रदेश स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर शासन स्तर पर नीतिगत प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती हैः-

1	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य

3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव नगर विकास	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
11	सचिव, कौशल विकास मिशन	सदस्य
12	निदेशक, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
13	संयोजक, एस०एल०बी०सी०	सदस्य
14	महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,(SIDBI)	सदस्य
15	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश	सदस्य/सचिव

उक्त समिति एक जनपद एक व्यंजन योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित होगी।

6- योजना हेतु सरकार के विभिन्न विभाग- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, खादय प्रसंस्करण विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, कौशल विकास, नगर विकास, नियोजन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, विभिन्न स्थानीय निकाय इत्यादि सभी विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय में कार्य करेंगे।

7- योजना का क्रियान्वयन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश के अधीन गठित एक समर्पित ओ0डी0ओ0सी0 प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। निदेशालय द्वारा पी.एम.यू. (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का चयन किया जाएगा | पी.एम.यू. द्वारा योजना के क्रियान्वयन में ओ.डी.ओ.सी. प्रकोष्ठ की सहायता की जायेगी |

8- ओ.डी.ओ.सी. योजना के अंतर्गत योजना के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण इत्यादि हेतु उक्त योजना के निमित्त वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय हुई धनराशि का 03% अधिकतम कांटिनजैंसी के रूप में व्यय किया जा सकेगा।

9. ओ.डी.ओ.सी. कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, मेला-प्रदर्शनी, कार्यशाला, ब्रांडिंग एवं पब्लिसिटी आदि हेतु ओ.डी.ओ.सी. के लिए प्राविधानित बजट से व्यय किया जा सकेगा।

10- योजना का क्रियान्वयन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

11- योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं प्रदेश स्तर पर

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा की जाएगी।

12- एक जनपद एक व्यंजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना एवं त्रि-स्तरीय समिति के गठन आदि के सम्बंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण मा० मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
SHASHI BHUSHANLAL SUSHEEL
Date: 05-06-2026 18:10:07

(शशि भूषण लाल सुशील)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०।
6. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ०प्र० लखनऊ।
7. अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, (ओ०डी० ओ०पी० प्रकोष्ठ) निर्यात भवन लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ०प्र०।
9. समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।